कम्प्यू०नं०1718065/7.12.2017

पत्र संख्या-स0द0-25क-2017-18 / 2365 / वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर , वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(सचलदल अनुभाग)

लखनऊ : दिनांक : दिसम्बर 07 2017

समस्त

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 /

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0)/

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

शासन की अधिसूचना संख्या- क0नि0-2-1845 / ग्यारह-9(52)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-(94)-2017 जो दिनांक 06-12-2017 से जारी की गई है और यह अधिसूचना दिनांक 16-12-2017 से प्रवृत्त होगी , की हिन्दी तथा अँग्रेजी भाषा की एक-एक प्रति , इस पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि आप अपने -अपने जोन में विभाग से जुड़े समस्त स्टेकहोल्डर्स जैसे -व्यापारियों, निर्माता व्यापारियों , व्यापारिक / औद्योगिक संगठनों एवं अधिवक्ता संगठनों , ट्रांसपोर्टरों , ट्रांसपोर्टर एसोशियेशनों के मध्य प्रचार-प्रसार के समस्त माध्यमों से प्रचार-प्रसार करना /करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक- यथोपरि।

7/12/17

(गुलाब चन्द्र)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (स0द0) वाणिज्य कर,

मुख्यालय , लखनऊ।

उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या–क0नि0–2–1845 / ग्यारह–9(52) / 17–उ0प्र0अधि0–1–2017–आदेश–(94)–2017

लखनऊदिनांक :: 06 दिसम्बर, 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 2017) के अधीन बनायी गयी उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 138 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–1158 / ग्यारह–9(52) / 17–उ0प्र0अधि0–1–2017–आदेश–(38)–2017 दिनांक 18 अगस्त, 2017 द्वारा यथा संशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–1014 / ग्यारह–9(52) / 17–उ0प्र0अधि0–1–2017–आदेश–(31)–2017 दिनांक 21 जुलाई, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:–

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में,–

प्रस्तर–(2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्तर रख दिया जायेगा, अर्थात् :.

"(2) उत्तर प्रदेश के भीतर अथवा राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के बाहर किसी स्थान तक पचास हजार रूपये या उससे अधिक मूल्य के निम्नलिखित कराधेय माल का परिवहन किये जाने की दशा में संलग्न प्ररूप ई–वे बिल–02, माल का परिवहन या उसका अभिवहन भण्डारण किये जाने के दौरान माल के साथ रखा जायेगा :-

(क) मेन्था आयल व मेन्थाल एवं डी0एम0ओ0,

(ख) सुपाड़ी,

(ग) लोहा तथा इस्पात,

(घ) सभी प्रकार के खाद्य तेल व वनस्पाति घी,

(ड.) कोलतार, तारकोल और चारकोल,

(च) बिटुमिन,

(छ) कौल और कोक सभी रूप में,

(ज) मिट्टी निर्मित छत की टाइलों (खपरैल और नाली) को छोड़कर सभी प्रकार की टाइल्स,

(झ) सभी प्रकार के कागज जिसमें अखबारी कागज सम्मिलित है,

(ट) मार्बल स्टोन,

(ठ) सिगरेट/सिगार,

(ड) पान मसाला,

(ढ) खैनी, जर्दा, सुर्ती, अन्य निर्मित तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद,

(ण) सभी प्रकार के लुब्रीकैन्ट,

(त) टायर और ट्यूब,

(थ) कत्था,

(द) स्किम्ड मिल्क पाउडर,

(ध) पेन्ट और वार्निश,

(न) सेनेटरी वेयर और फिटिंग,

(प) वुड और टिम्बर,"

2. यह अधिसूचना दिनांक 16 दिसम्बर, 2017 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

Uttar Pradesh Shasan
Sansthagat Vitta, Kar Evam Nibandhan Anubhag -2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. KA.NI.-2-1845/XI-9(52)/17-U.P.Act-1-2017-Order-(94)-2017 dated December 06, 2017.

NOTIFICATION

No.-KA.NI.-2-1845/XI-9(52)/17- U.P.Act-1-2017-Order-(94)-2017
Lucknow : Dated : December 06, 2017

In exercise of the powers under rule 138 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 framed under the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P.Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no. KA.NI.-2-1014/XI-9(52)/17-U.P.Act-1-2017-Order-(31)-2017 dated July 21, 2017 as amended by notification no. KA.NI.-1158/XI-9(52)/17-U.P.Act-1-2017-Order-(38)-2017 dated August 18, 2017. :-

AMENDMENT

In the aforesaid notification for para-(2), following para shall be substituted, namely:-

" (2) In case of transportation of taxable goods valuing rupees fifty thousand or more mentioned as follows within Uttar Pradesh or from a place within the State to a place outside the State, the enclosed Form e-way bill 02 shall be carried with the goods during the transportation or transit storage of the goods:

(a) Mentha Oil, Menthol and D. M. O.,
(b) Supari,
(c) Iron and Steel,
(d) All types of edible oils and Vanaspathi ghee,
(e) Coal tar, tar coal and charcoal,
(f) Bitumine,
(g) Coal and coke in all its forms,
(h) All kinds of tiles except earthen roofing tiles (khaprail and naali),
(i) Paper of all kinds including newsprint,
(j) Marble stone,
(k) Cigarette/Cigar,
(l) Pan Masala,
(m) Khaini, Zarda, Surti, other manufactured tobacco and tobacco products,
(n) All kinds of Lubricants,

(o) Tyre and tube,
(p) Kattha,
(q) Skimmed milk powder,
(r) Paint and varnish,
(s) Sanitary ware and fitting,
(t) Wood and Timber. "

2. This notification shall come into force with effect from the 16th day of December, 2017.

By Order,

(Rajendra Kumar Tiwari)
Apar Mukhya Sachiv